मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

विष्णु वगै. बनाम रामकिशोर वगै.

रस्म मुकदमा दावा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा नं. 202 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/24	पत्रावली तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 6294 दिनांक 24/09/2024 के प्राप्त होने पर पेश हुई। पत्र का अवलोकन किया गया। पत्र में अंकित किया है कि कुरैजात बनाते समय पक्षकार रामजीलाल पुत्र छाज्या हिस्सा 13/594, रमेश्वर पुत्र मांगीराम हिस्सा 2/27 कुरैजात के खाता संख्या 6 में दर्ज होने से रह गया है। निर्णय डिक्री दिनांक 12/09/2024 में दर्ज किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069-2072 का अवलोकन करने पर जमाबंदी संवत 2069-2072 खाता संख्या 83 नया, पुराना-80 में रामजीलाल पुत्र छाज्या एवं रामेश्वर पुत्र मांगीराम का नाम दर्ज है तथा कुरैजात के खाता संख्या 1 में भी रामजीलाल पुत्र छाज्या का नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 7 में रामेश्वर पुत्र मांगीराम का नाम दर्ज है। प्रस्तावित कुरैजात के खाता सं. 6 में रामजीलाल पुत्र छाज्या 13/594 एवं रामेश्वर पुत्र मांगीराम हिस्सा 2/27 दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः धारा 151,152 CPC का प्रयोग करते हुये तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त पत्र क्रमांक 6294 दिनांक 24/09/2024 स्वीकार किया जाकर निर्णय डिक्री दिनांक 12/09/2024 में संशोधन किया जाता है कि प्रस्तावित कुरैजात के खाता सं. 6 में रामजीलाल पुत्र छाज्या हिस्सा 13/594 एवं रामेश्वर पुत्र मांगीराम हिस्सा 2/27 लाल स्याही से दर्ज किया जावे। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	शेष इन्द्राभात यथावत रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त पत्रांक 6294 दिनांक 24/9/2024 उक्त आदेश का भाग रहेगा। प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 25/9/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in
PH:-01420-228487

प्रकरण संख्या :–202 / 2016
प्रकरण दायर दिनांक:– 24.11.2016
प्रकरण निर्णय दिनांक:– 12.09.2024

उनवान– 1. विष्णु पुत्र ब्रजमोहन
2. सुशील पुत्र ब्रजमोहन
3. कमलेश पुत्र ब्रजमोहन
4. सन्तोष पुत्री ब्रजमोहन
5. सुमन पुत्री ब्रजमोहन
6. लाली पुत्री ब्रजमोहन
7. बत्तो पुत्री ब्रजमोहन
8. गीता बेवा ब्रजमोहन
9. रामजीलाल पुत्र छाज्या

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी पीचूपाडा कलॉं तह. बसवा हाल तह. बॉंदीकुई जिला दौसा।

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र मांगीराम
2. रामेश्वर पुत्र मांगीराम
3. सूरजमल पुत्र जगन्नाथ
4. सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ
5. दामोदर पुत्र जगन्नाथ
6. ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ
7. जम्बूरी बेवा जगन्नाथ
8. मोहनलाल पुत्र रामधन
9. बाबूलाल पुत्र रामधन
10. मु. परभाती बेवा रामधन
11. किलाण पुत्र रामानन्द
12. राजेन्द्र पुत्र मदन
13. पवन कुमार पुत्र रामनाथ
14. वेदप्रकाश पुत्र रामनाथ
15. रामेश्वरी पत्नि रामनाथ
16. राधेश्याम पुत्र गणपत
17. प्रभुदयाल पुत्र गणपत
18. दशरथ पुत्र गणपत
19. श्रीकिशन पुत्र गणपत

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी पीचूपाडा कलॉं तह. बसवा हाल तह. बॉंदीकुई जिला दौसा।

20. शेर सिंह पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी पीचूपाडा कलॉं तह. बसवा जिला दौसा
21. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं.—202/2016 सन्—2016

निर्णय दिनांक 12.09.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम पीचूपाडा कलॉ तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी सं. नई 83 पुरानी 80 के खसरा नं. 177 लगायत 181, 612 लगायत 618, 621 लगा. 630, 633, 648 कुल किता 24 कुल रकबा 5.28 हैक्ट. स्थित है। जिसमें वादीगण का 2/27 वॉ हिस्सा दर्ज है एवं प्रतिवादीगण सं. 1 का 4/27 वॉ हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 3 लगा. 7 का हिस्सा 2/9 दर हिस्सा 2/3, प्रतिवादीगण सं. 8 लगा. 10 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 11 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 13 लगा. 19 का 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 का 2/27 वॉ हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं भूमि मुतदाविया पर वादीगण इसी व प्रतिवादीगण इसी मुताबिक काबिज काश्त हैं प्रतिवादी सं. 02 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण के पिता को अपना हिस्सा बेचान कर दिया जिसका भी वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण सं. 1 लगा. 08 गरीब आदमी है वादीगण की भूमि मेगा हाईवे सिकन्दरा बॉदीकुई पर स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 7 अपना नाजायज जबरिया कब्जा करना चाहते हैं तथा वादीगण की मजबूरी का फायदा उठाकर वादीगण को बेदखल करने पर उतारू है जिसका की प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण जो कि अपनी भूमि मेगा हाईवे सिकन्दरा बॉदीकुई पर स्थित है पर अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से काबिज काश्त होकर लाभान्वित होते चले आ रहे है जिससे प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 7 का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई मर्तबा भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवाने को कहा किन्तु प्रतिवादीगण तकास्मा नहीं करवाकर वादीगण को हैरान परेशान व बरबाद करते हैं एवं वादीगण को येनकेन प्रकारेण उनके हक व हिस्से से बेदखल करना चाहते हैं जबकि वादीगण भूमि का तकास्मा करवाने को हमेशा तत्पर रहे हैं। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया वादपत्र का सरस—नरस के अनुसार कब्जे के अनुसार विधिवत तकास्मा किया जाकर वादीगण का अलग चक अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुकें जारी की जावे। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण भूमि मुतदाविया खाता सं. नया 83 पुराना 80 खसरा नं. 177 लगायत 181, 612 लगायत 618, 621 लगा. 630, 633, 648 कुल किता 24 कुल रकबा 5.28 हैक्ट. वाके ग्राम पीचूपाडा कलॉ तह. बसवा जिला दौसा को किसी दीगर शख्स को रहन व बय करने से, वादीगण के कब्जे काश्त व अधिकारात की भूमि जो मेगा हाईवे सिकन्दरा अलवर बॉदीकुई के लगती हुयी है पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से, वादीगण को फसल बोते व काटते समय झगडा फसाद करने से, खाम व पुख्ता निर्माण करने से, भूमि में उगे हुये पेड पौधों को काटने से खोदने से, वादीगण के पैदा कर्ता पेड पौधों घास आदि को काटने से खोदने से, वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से दवामि तौर पर प्रतिबंधित रहे भूमि मुतदाविया व राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली न करे। मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण बावजूद जर्ये रजिस्ट्री ए.डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण की ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पीचूपाडा कलॉं में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान द्वारा विवादित आराजी का हिस्से एवं कब्जे अनुसार बँटवारा करने का निवेदन करने पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार बसवा को विवादित आराजी का सरस–नरस बँटवारा कर कुरैजात बनाकर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण रामअवतार, नन्दकिशोर पुत्रान स्व. किलाण जाति ब्राह्मण नि. पीचूपाडा कलॉं तह. बॉदीकुई द्वारा जर्ये वकील श्री सुरेश कुमार गुर्जर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई बाबत एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 एवं धारा 151 जा.दी. वास्ते एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त करने बाबत एवं एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री अपास्त करने बाबत व कुरैजात बनाने की प्रकिया स्थगित करने बाबत पेश किया गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई बाबत हेतु वादीगण वकील की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तलबी नोटिस वादीगण वकील बाद तामील प्राप्त हुये। वादीगण वकील जवाब हेतु प्रार्थना पत्र को आगामी तारीख पेशी दिनांकः 12.08.2024 में नियत किया गया। प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई बाबत एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 एवं धारा 151 जा.दी. नोट प्रेस करने पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई बाबत एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 एवं धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र की कार्यवाही समाप्त की गई। तहसीलदार (भू. अ.) बॉदीकुई के पत्र कमांक/भू. अ./2024/5758 दिनांकः 13.08.2024 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात का वादीगण वकील द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

वर्तमान जमाबंदी अनुसार इन्द्राज						प्रस्तावित कुरैजात अनुसार		
ाम ाम	खाता सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा	क्रम सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
ूपाडा र्लों	नया 83 पुराना 80	ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ हि. 2/45, कमलेश पुत्र ब्रजमोहन हि. 13/1782, किलाण पुत्र रामानन्द हि. 1/9, जम्बुरी पत्नि जगन्नाथ हि. 2/45, दशरथ पुत्र गणपत हि. 2/45, दामोदर पुत्र जगन्नाथ हि. 2/45, प्रभुदयाल पुत्र गणपत हि. 2/45, परभाती पत्नि	177 178 179 180 181 612 613 614 615 616 617	0.31 0.37 0.40 0.30 0.63 0.04 0.05 0.03 0.04 0.05 0.05	1.	कमलेश पुत्र ब्रजमोहन हि. 1/6, विष्णु पुत्र ब्रजमोहन हि. 1/6, सुशील पुत्र ब्रजमोहन हि. 1/6, रामजीलाल पुत्र छाज्या हि. 1/2 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	180/2 179/3	0.16 हैक्ट. 0.07 हैक्ट.
						कुल	किता–02	0.23 हैक्ट.

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

रामधन हि. 1/27, पवन कुमार पुत्र रामनाथ हि. 1/60, बाबूलाल पुत्र रामधन हि. 1/27, मोहनलाल पुत्र रामधन हि. 1/27, राजेन्द पुत्र मदन हि. 1/9, राधेश्याम पुत्र गणपत हि. 2/45, रामकिशोर पुत्र मांगीराम हि. 2/27, रामजीलाल पुत्र छाज्या हि. 13/594, रामेश्वर पुत्र मांगीराम हि. 2/27, रामेश्वरी देवी पत्नि रामनाथ हि. 1/90, वेदप्रकाश पुत्र रामनाथ हि. 1/60, विष्णु पुत्र ब्रजमोहन हि. 13/1782, श्रीकिशन पुत्र गणपत हि. 2/45, सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ हि. 2/45, सूरजमल पुत्र जगन्नाथ हि. 2/45, सुशील पुत्र ब्रजमोहन हि. 13/1782, जाति ब्राह्मण सा. देह, शेर सिंह पुत्र हीरालाल हि. 1/33 जाति गुर्जर सा. गूजरबास खातेदार	618 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 633 648	0.02 0.50 0.40 0.20 0.38 0.36 0.21 0.32 0.20 0.06 0.07 0.16 0.13	
कुल किता–24		5.28 हैक्ट.	

2.	राजेन्द्र पुत्र मदन जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	622 627/3	0.40 हैक्ट. 0.17 हैक्ट.
	कुल	किता–02	0.57 हैक्ट.
3.	परभाती पत्नि रामधन हि. 1/3, बाबूलाल पुत्र रामधन हि. 1/3, मोहनलाल पुत्र रामधन हि. 1/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	179/2 628/2 178/2	0.30 हैक्ट. 0.18 हैक्ट. 0.09 हैक्ट.
	कुल	किता– 03	0.57 हैक्ट.
4.	किलाण पुत्र रामानन्द जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	177 612 613 178/4	0.31 हैक्ट. 0.04 हैक्ट 0.05 हैक्ट. 0.17 हैक्ट.
	कुल	किता–04	0.57 हैक्ट.
5.	ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ हि. 1/5, दामोदर पुत्र जगन्नाथ हि. 1/5, सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ हि. 1/5, सूरजमल पुत्र जगन्नाथ हि. 1/5, जम्बूरी पत्नि जगन्नाथ हि. 1/5 जाति ब्राह्मण सा. देह खतेदार	180/1 181 624	0.14 हैक्ट. 0.63 हैक्ट. 0.38 हैक्ट.
	कुल	किता–03	1.15 हैक्ट.

उपखण्ड अधिकारी
झांतीकर्द

Scanned with OKEN Scanner

						6.	ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ हि. 2/45, कमलेश पुत्र ब्रजमोहन हि. 13/1782, किलाण पुत्र रामानन्द हि. 1/9, जम्बुरी पत्नि जगन्नाथ हि. 2/45, दशरथ पुत्र गणपत हि. 2/45, दामोदर पुत्र जगन्नाथ हि. 2/45, प्रभुदयाल पुत्र गणपत हि. 2/45, परभाती पत्नि रामधन हि. 1/27, पवन कुमार पुत्र रामनाथ हि. 1/60, बाबूलाल पुत्र रामधन हि. 1/27, मोहनलाल पुत्र रामधन हि. 1/27, राजेन्द्र पुत्र मदन हि. 1/9, राधेश्याम पुत्र गणपत हि. 2/45, रामकिशोर पुत्र मांगीराम हि. 2/27, रामेश्वरी देवी पत्नि रामनाथ हि. 1/90, वेदप्रकाश पुत्र रामनाथ हि. 1/60, विष्णु पुत्र ब्रजमोहन हि. 13/1782, श्रीकिशन पुत्र गणपत हि. 2/45, सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ हि. 2/45, सूरजमल पुत्र जगन्नाथ हि. 2/45, सुशील पुत्र ब्रजमोहन हि. 13/1782 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार, शेर सिंह पुत्र हीरालाल हि. 1/33 जाति गुर्जर सा. गूजरबास खातेदार, रामजीलाल पुत्र छाज्या हि. 13/594, रामेश्वर पुत्र मांगीराम हि. 2/27 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	628/1 627/1 178/1 179/1	0.02 हैक्ट. 0.03 हैक्ट. 0.02 हैक्ट. 0.03 हैक्ट.
							कुल	किता–04	0.10 हैक्ट.

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

							7.	दशरथ पुत्र गणपत हि. 23/209, प्रभुदयाल पुत्र गणपत हि. 23/209, पवन कुमार पुत्र रामनाथ हि. 9/209, राधेश्याम पुत्र गणपत हि. 23/209, रामकिशोर पुत्र मांगीराम हि. 38/209, रामेश्वरी देवी पत्नि रामनाथ हि. 7/209, वेदप्रकाश पुत्र रामनाथ हि. 9/209, श्रीकिशन पुत्र गणपत हि. 23/209, रामेश्वर पुत्र मांगीराम हि. 38/209 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार, शेर सिंह पुत्र हीरालाल हि. 16/209 जाति गुर्जर सा. गूजरबास खातेदार	621 623 625 626 629 630 648 633 616 617 618 615 178/3 627/3 614	0.50 हैक्ट. 0.20 हैक्ट. 0.36 हैक्ट. 0.21 हैक्ट. 0.06 हैक्ट. 0.07 हैक्ट. 0.13 हैक्ट. 0.16 हैक्ट. 0.05 हैक्ट. 0.05 हैक्ट. 0.02 हैक्ट. 0.04 हैक्ट. 0.09 हैक्ट. 0.12 हैक्ट. 0.03 हैक्ट.
								कुल	किता– 14	2.09 हैक्ट.

कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 12.09.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

12/9/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner